Crms
2025/362

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

प्यारसीलाल वगै0 बनाम कमला वगै0

किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 66 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25-6-25	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर बहस एकतरफा में निवेदन किया की प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 01 लगायत 04 एक ही परिवार के सदस्य है। भूमि आराजी ख0न0 27 रकबा 3.2877 हैक्ट. वाके ग्राम अलीनगर, पटवार हल्का नोरंगपुरा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार अभिधारी है। इसी प्रकार पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी एवं पुश्तैनी भूमि आराजी ख0न0 58 रकबा 1.1507 हैक्ट., ख0न0 77 रकबा 0.0506 हैक्ट. ख0न0 78 रकबा 0.0253 हैक्ट. कुल किता 03 कुल रकबा 1.2266 हैक्ट. वाके ग्राम अलीनगर, पटवार हल्का नोरंगपुरा तह0 पीपलू में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार अभिधारी है। प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 के पूर्वज ओंकार पुत्र रामसुखा का देहान्त काफी समय पूर्व हो चुका है। प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण पूर्वज ओंकार के वारिसान् है। जिनके प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 कें अतिरिक्त अन्य कोई वारिसान नही है। उक्त वर्णित आराजीयात पैतृक आराजीयात है। जिसका विधिवत् विभाजन नही हो रखा है। प्रतिपक्षीगण विना विधिवत् तकासमा कराये उक्त आराजीयात को अजनवी व्यक्तियो को भूमि विक्रय करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की आराजीयात में काश्त नही करने एवं फसल वोने जोने काटने में रूकावट उत्पन्न कर मजामहत व मदाखलत कर रहे है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रकरण में प्रस्तुत प्रा0पत्र का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है। अतः प्रतिपक्षीगण अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है की वे भूमि आराजी ख0न0 27 रकबा 3.2877 हैक्ट. व ख0न0 58 रकबा	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

1.1507 हैक्ट., ख0न0 77 रकबा 0.0600 हैक्ट. ख0न0 78 रकबा 0.0253 हैक्ट. कुल किता 03 कुल रकबा 1.2266 हैक्ट. वाके ग्राम अलीनगर, पटवार हल्का गोरधनपुरा ... राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिती बनाये रखे। प्रतिपक्षीगण को तलबी जारी ... रजिस्टर्ड एडी0 जारी हो। यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो ... प्रतिपक्षीगण नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 24.07.2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

24/07/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उप.। प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र शर्मा एड. व प्रतिपक्षी संख्या 03, 04 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद गुर्जर ने U.T. दी। पत्रावली वास्ते पेश करने वकालतनामा प्रतिपक्षी संख्या 01 लगा. 04 व तलबी 05, 06 दिनांक 30.07.25 को पेश हो।

30/7/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] हड़ताल/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली [illegible] अनुसार दिनांक 2/8/25 पेश हो।

08/08/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 01 लगा. 04 उप.। प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र शर्मा व श्री कैलाश चौधरी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते जवाब व वकालतनामा प्रतिपक्षी संख्या 03 व 04 व तलबी प्रतिपक्षी संख्या 05, 06 दिनांक 19.08.25 को पेश हो।

19/08/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 01 लगा. 04 उप.। पत्रावली

FORM-II

फर्द अहकाम

नियम (26)

मुकाम ....

अज अदालत .... ग्यारसीलाल .... बनाम कमला बेग ....

किस्म मुकदमा .... नं. .... 66 .... वर्ष 2025 ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील से जारी हुए।
	वास्ते जवाब व वकालतनामा दिनांक 26.08.25 को पेश हो / [signature]	
26/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी अनुपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ल आदेशिका अनुसार दिनांक 12/9/25 ...... पेश हो। Ram	
12/9/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ल आदेशिका अनुसार दिनांक 10/10/25 ...... पेश हो। Ram	
10/10/25	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब व वकालतनामा प्रति० सं० 3 व 4 व तलबी प्रतिपक्षी संख्या 5, 6 हेतु पत्रावली दिनांक 16-10-25 को पेश हो / [signature]	
16/10/25	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप० वास्ते जवाब व वकालतनामा प्रति० सं० 3 व 4 व तलबी प्रतिपक्षी 5, 6 हेतु पत्रावली दिनांक 13-11-25 को पेश हो / [signature]	

07/11/25 प्रार्थना पत्र O.23 R.1 CPC प्रस्तुत होने पर पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उप/ अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण मे पक्षकारों के मध्य आपसी सहमती के अनुसार आगे नही चलाना चाहते है। प्रकरण को विड्रो करना चाहते है। अतः प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण मे नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए वाद मय प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के विड्रो किया जावे।

पत्रावली व प्रस्तुत प्रा.पत्र का अवलोकन किया जाकर प्रकरण मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है एवं प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा नवीन वाद पेश करने की अनुमति के साथ विड्रो की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)